राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

–:सूचना:–

जिला न्यायालय चतुर्थ श्रेणी भर्ती–2017

क्रमांक–रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2019/254 दिनांक 22.02.2019

जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के चयन की निर्विवाद व पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल साक्षात्कार के स्थान पर 10 वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन की प्रक्रिया 2017 में बनाये गये नये नियमों के तहत निर्धारित की गयी थी।

कुल 2309 रिक्त पदों के लिए 8 फरवरी 2018 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त हुए आवेदनों में अभ्यर्थियों की 10 वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार करने के लिए समस्त अंक तालिकाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मण्डलों से अंकतालिका जारी करने से संबंधित जानकारी एकत्रित की गयी। गंभीर विसंगतियों के निराकरण एवं स्पष्टीकरण हेतु शिक्षा मण्डलों के उच्च पदाधिकारियों से व्यक्तिगत विचार–विमर्श भी किया गया।

विस्तृत जाँच एवं परीक्षण के पश्चात् पाया गया कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड सहित कई शिक्षा मण्डलों द्वारा पूर्व में प्राप्तांकों के आधार पर अंकतालिकाऐं जारी की जाती रही है परन्तु विगत कुछ वर्षों से प्राप्तांकों के स्थान पर ग्रेड अथवा सी.जी.पी.ए. अंकित किए जा रहे हैं, जिसके कारण प्राप्तांकों का सटीक आंकलन सम्भव नहीं है। यहां तक कि एक ही बोर्ड द्वारा किसी एक विषय को प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत के निर्धारण में कभी तो मूल्यांकन में शामिल किया जाता है और कभी अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंकों के बावजूद विभिन्न शिक्षा मण्डलों द्वारा उन्हें अलग–अलग ग्रेडिंग अथवा सी.जी.पी.ए. प्रदान की जाती है। कुछ मामलों में एक ही बोर्ड द्वारा समान प्राप्तांकों के आधार पर भिन्न छात्रों को अलग–अलग ग्रेडिंग या सी.जी.पी.ए. प्रदान किया जाना पाया गया। तुलनात्मक परीक्षण पर यह भी सामने आया कि कई बोर्ड उदारतापूर्वक यथा 90 प्रतिशत से अधिक भी अंक प्रदान करते हैं, जबकि कुछ बोर्ड का मूल्यांकन कठोर पाया गया।

इसी प्रकार की अनेक विसंगतियों के कारण भरसक प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्तांकों के आधार पर ऐसी सटीक व विवाद रहित चयन सूची तैयार किया जाना संभव नहीं हो पाया है, जिससे सभी अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेरिट का सही निर्धारण किया जा सके।

राज्य सरकार ने भी इस श्रेणी के कर्मचारीगण के चयन हेतु 10 वीं पास अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षा किया जाना प्रस्तावित किया है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखण्ड, आसाम, त्रिपुरा एवं दिल्ली आदि राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति 8 वीं अथवा 10 वीं पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाती है।

समग्र परिस्थितियों पर विचार–विमर्श के उपरान्त राजस्थान राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन से सम्बन्धित नियमों में नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने हेतु तदनुसार समुचित संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया

है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वर्तमान चयन प्रक्रिया को निरस्त कर उसके स्थान पर नये सिरे से निर्विवाद एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु नियमों में उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन खेद व्यक्त करता है।

वर्तमान चयन प्रक्रिया के सभी आवेदकों को नवीन प्रस्तावित चयन प्रक्रिया में शामिल होने का विकल्प रहेगा। वांछित आवेदन करने पर उन्हें आयु सीमा में छूट मिलेगी और उनसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा। भावी चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को समुचित ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि लौटायी जायेगी।

इस सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक सूचनाऐं एवं निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किए जायेंगे।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)